

रिक्त गोदाम के संबंध में।

बिहार राज्य भंडार निगम, दी वेयरहाउसिंग एक्ट 1962 के अन्तर्गत स्थापित बिहार की नोडल एवं अग्रणी भंडारण संस्था है जो खाद्यान्नों/ उर्वरकों/ दवाओं एवं अन्य अधिसूचित वस्तुओं के भंडारण के क्षेत्र में अपनी सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में इस निगम अन्तर्गत बिहार के निम्नलिखित केंद्रों पर रिक्त स्थान भंडारण हेतु उपलब्ध है :-

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	स्थल का नाम	खाली स्थान (मे.टन में)
1	मुजफ्फरपुर	औद्योगिक क्षेत्र, मालीघाट, मुजफ्फरपुर	1,400
2	बेतिया	औद्योगिक क्षेत्र, बेतिया	2,020
3	सीतामढ़ी	औद्योगिक क्षेत्र, राजोपट्टी, सीतामढ़ी	4,000
4	रक्सौल	औद्योगिक क्षेत्र, हवाई अड्डा रोड, रक्सौल	1,680
5	आरा	अनाईट आरा	7,995
6	बक्सर	कृषि उत्पादन बाजार समिति, बक्सर	6,720
7	सासाराम	तकिया गुमटी एवं तकिया बाजार, सासाराम	6,860
8	जानकीनगर	विनोबाग्राम, जानकीनगर (जिला-पूर्णिया)	1,000
9	भागलपुर	बागवाड़ी, कृषि उत्पादन बाजार समिति, भागलपुर	11,583
10	नटवार	कृषि उत्पादन बाजार समिति, नटवार	10,000
11	नौगछिया	कृषि उत्पादन बाजार समिति, नौगछिया	10,000
12	कटिहार	कृषि उत्पादन बाजार समिति, कटिहार	10,000
13	बेगुसराय	कृषि उत्पादन बाजार समिति, बेगुसराय	5,000

उक्त रिक्त गोदाम को अपने अधीन में भाड़े पर लेने हेतु इच्छुक सरकारी/ गैर सरकारी संस्थान/ आवेदक से प्रति मे.टन/ प्रति वर्गफीट प्रति माह के आधार पर दर आमंत्रित किया जाता है। विशेष जानकारी हेतु प्रमंडलीय प्रबंधक (व्यवसाय) से मो०सं० - 9470945622 एवं प्रभारी राजस्व से मो०सं०-7004270345 के माध्यम से या बिहार राज्य भंडार निगम, बी-2 प्रथम तल, गौर्यलोक, पटना से किसी भी कार्यालय दिवस में संपर्क कर सकते हैं।

ह0/-
प्रबंध निदेशक

ज्ञापक 365 भं.नि., पटना दिनांक 15.3.21
प्रतिलिपि: आई.टी. शाखा को निगम के सूचना पट्ट एवं वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रबंध निदेशक
2021/3/15